सं0–1039/XXV ।।। (1) 2004–04/2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवायें
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक : 5 अगस्त 2005

विषय: अनुदान सं0–30 लेखाशीर्षक 2210 के अन्तर्गत हिरनाखेड़ी (हरिद्वार) में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

अपने पत्र सं0–254/होम्यो0/बजट/2005–06/836/ दिनांक 22–6–2005 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त विभाग के पत्र सं0–422/ XXV।। (1) 2005 दिनांक 30.3.2005 तथा संख्या–527 व0/ XXV।। (1) 2005 दिनांक 28.4.2005 के ——— सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 की आय–व्ययक की मांगें स्वीकृत होने के तत्संबंधी विनियोग अधिनियम 2005 पारित होने के फलस्वरूप (होम्योपैथिक सेवायें) विभाग की योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत मानक मद–वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में सरकारी सेवकों तथा गैर सरकारी सेवकों के वेतन एवं बद्धनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय जलकर किराया, पेंशन औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों को भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपरोक्त बद्धनबद्ध मदों में (दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से दिनांक 30.4.2005 तक वित्तीय स्वीकृतियों को सम्मिलित करते हुए) आयोजनागत पक्ष में रू0 7,13,0,00–00 (रू0 सात लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार इस प्रतिबन्ध के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आहरण के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेगें।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तथा मितव्ययिता के अधीन किया जायेगा।

3– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

4— यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर [illegible] [illegible] वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की [illegible] आवश्यकता हो।

5— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय [illegible] देनदारी अगले वर्ष के लिए न छोड़ी जाय।

6— आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को आवश्यक उपलब्ध करा [illegible] जाय।

7— मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8— व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का उल्लेख किया जाय।

9 स्वीकृत धनराशि की जिलावार फाँट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)

अपर सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4— समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5— वित्त अनुभाग–2 / नियोजन विभाग / एन.आई.सी.।
6— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)

अनु सचिव

शासनादेश सं0–1039/XXVIII (1) 2004–04/2004 दिनांक अगस्त, 2005

[illegible]–23	धनराशि हजार रुपये में	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
लेखाशीर्षक		
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें		
102–होम्योपैथी		
02–अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
0201–[illegible](हरिद्वार) में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना		
01–वेतन	300	
03–महंगाई भत्ता	90	
04–यात्रा व्यय	20	
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15	
06–अन्य भत्ते	33	
08–कार्यालय व्यय	12	
09–विद्युत देय	2	
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	5	
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15	
30–ओषधि तथा रसायन	30	
42–अन्य व्यय	10	
45–अवकाश यात्रा व्यय	1	
46–महंगाई वेतन	150	
योग–	713	

(रू0 सात लाख तेरह हजार मात्र)

([illegible] श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

सं0– 1036/XXVIII (1) 2004–04/2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक सेवायें
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक : 5 अगस्त 2005

विषय: अनुदान स0–31 लेखाशीर्षक 2210 के अन्तर्गत जोशीमठ में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में ।

महोदय,

अपने पत्र सं0–25प/होम्यो0/बजट/2005–06/696/ दिनांक 22–6–2005 का सन्दर्भ ग्रहण करें । उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त विभाग के पत्र सं0–422/ XXVII (1) 2005 दिनांक 30.3.2005 तथा संख्या–527 ए0/ XXVII (1) 2005 दिनांक 26.4.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 की आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने वे तत्सबंधी विनियोग अधिनियम 2005 पारित होने के फलस्वरूप (होम्योपैथिक सेवायें) विभाग की योजनाओं की कियान्वयन हेतु अनुदान स0–31 के अन्तर्गत मानक मद–वेतन, मंहगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में सरकारी सेवकों तथा गैर सरकारी सदकों के वेतन एवं वचनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय जलकर किराया , पेंशन औषधि , भोजन व्यय ,पेट्रोल, टेलीफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों को भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपरोक्त वचनबद्ध मदों में (दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से दिनांक 30.4.2005 तक वित्तीय स्वीकृतियों का सम्मिलित करते हुए) आयोजनागत पक्ष में रू0 4,80,0,00–00 (रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार इस प्रतिबन्ध के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि आहरण के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेगें।

2– स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृति चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित के अधीन किया जायेगा।

3– योजनओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व[illegible] जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व[illegible] आवश्यकता हो।

5- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय [illegible] देनदारी अगले वर्ष के लिए न छोड़ी जाय।

6- शासनादेशों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को आवश्यक उपलब्ध करा[illegible] जाय।

7- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का [illegible] से पालन किया जायेगा।

8- व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का उल्लेख किया जाय।

9- स्वीकृति धनराशि की जिलावार फॉट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

[illegible] दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3- समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4- समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओंकार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश सं0– /XXVIII (1) 2004–04/2004 दिनांक अगस्त, 2005

अनुदान सं0–30			
		धनराशि हजार रूपये में	
लेखाशीर्षक		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
796–जनजाति उप क्षेत्र योजना			
03–जोशीमठ में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना			
	01–वेतन	200	
	03–महगाई भत्ता	60	
	04–यात्रा व्यय	5	
	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20	
	06–अन्य भत्ते	22	
	08–कार्यालय व्यय	5	
	09–विद्युत देय	1	
	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10	
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	
	17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1	
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	10	
	39–औषधि तथा रसायन	20	
	42–अन्य व्यय	5	
	45–अवकाश यात्रा व्यय	1	
	48–महंगाई वेतन	100	
	योग–	480	

(रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र)

(अनिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।